तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म के में जो
29.10.21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प भादू में पेश हुई, पटवार हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा. पर लिया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखवा जाकर शामिल पत्रावली किया गया. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 241/21 आवक

1- श्री उगमा s/o श्री मोडा गुर्जर निवासी- आमलीखेड़ा व मांडल .... प्रार्थी

बनाम

1- श्री भगिरथ s/o श्री सोहनदास बैरागी निवासी आमलीखेड़ा व मांडल .... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 (पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र स्वीकार)

::आदेश:: दिनांक 29.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आमलीखेड़ा पटवार हल्का आमलीखेड़ा तहसील मांडल/में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. 71/536 कुल किता 01 रकबा 1.2046 हेक्टेयर - स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक ....2.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अत: इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आमलीखेड़ा [redacted] हल्का आमलीखेड़ा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 71/536 कुल किता 01 रकबा 1.2046 हेक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक गुवारड़िया को 6100/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:26:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेशानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021